

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 500]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 17, शक 1938

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-3-39-2016-अट्टारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा हनवतिया निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर, म. प्र.
2. कलेक्टर, खण्डवा जिला खण्डवा, म. प्र.
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत खण्डवा, म. प्र.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मूंदी, म. प्र.
5. उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय खण्डवा, म. प्र.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-3-39-2016-अट्टारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना दिनांक 8 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

NOTICE

Bhopal, the 8th December 2016

No. F-3-39-2016-XVIII.-5.—Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Hanvantiya, 2035 (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:—

1. Commissioner, Indore Division, Indore, M. P.
2. Collector, Khandwa District, Khandwa, M. P.
3. C.E.O. Jila Panchayat Khandwa, M. P.
4. C. M. O. Municipal Council, Mundi, M. P.
5. Dy. Director, Town & Country Planning Distt. Office Khandwa M. P.

2. The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under Section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
C. K. SADHAV, Dy. Secy.